राजस्थान–सरकार

न्यायालय उप तहसीलदार फागलिया ,जिला बाडमेर

राजस्व मुकमदमा सं. 14 / 2024

प्रार्थी   **बनाम**   **विप्रार्थी**

सरकार जरिये पटवारी
सेड़वा

श्री [illegible] / [illegible]
जाति [illegible] निवासी [illegible]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

<u>आदेश</u>

निर्णय दिनांक 20/06/2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] ने रिर्पोट प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि ग्राम [illegible] के खसरा सं. 253/218 रकबा 0.19 बीघा पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट पेश की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी से बाद तामिल प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी के पैरोकार उपस्थित हुआ लेकिन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे बाबत अपने पक्ष /स्वामित्व के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत किये/नही किये। अतः हल्का पटवारी की रिर्पोट अनुसार अप्रार्थी को राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा/काश्त करने पर रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है एव उक्त आराजी पर अवेध कब्जा/काश्त करने पर बतौर शारित्त के वार्षिक लगान 1.05 का 50 गुणा अनुसार रूपये 3.50 अक्षरे :– [illegible] जुर्माना आरोपित किया जाता है भू.अभिलेख निरीक्षक हल्का [illegible] को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त भूमि पर गैर सायल का नाजायज कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर मांग कायमी हेतु हल्का पटवारी [illegible] एवं तहसील राजस्व लेखाकार को सूचित हो पत्रावली बाद आदेश की पालना होकर दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 20/06/2024 का सरे [illegible] लिखकर सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhoma Ram
Date: 2024.07.18 12:41:04 IST
Reason: SelfAttested

उप तहसीलदार फागलिया
उप तहसीलदार
फागलिया